सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 48 / 2017 अपील (RCMS/2017/00143)
पंजीयन दिनांक — 13.06.2017
निर्णय दिनांक — 30.10.2018

1. श्री रूपसिंह पिता श्री मानसिंह राजपूत, निवासी धणोली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री अशोक कुमार पिता श्री भेरूलाल कलाल, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री गजेन्द्र कुमार पिता श्री भेरूलाल कलाल, निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्री मनोहरलाल पिता श्री मोतीलाल कलाल, निवासी धाऊजी की बावडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती ललिता देवी चौधरी पत्नि श्री प्रकाश चौधरी, निवासी करणपुर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
5. श्रीमती संतोष कुमारी पत्नि श्री राजकुमार कलाल, निवासी 398 धोबी मोहल्ला, ताणा–2, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
6. नगर विकास प्रन्यास जरिये प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील अपीलान्ट
2. श्री राजमल राव — वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 5
3. श्री एन.एस.चुण्डावत — वकील रेस्पोडेंट संख्या–6

अपील अन्तर्गत धारा 90–क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या 30 / 2013 दिनांक 30.12.2013

निर्णय

दिनांक 30.10.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 90–क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या 30/2013 दिनांक 30.12.2013 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रश्नगत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम देबारी, तहसील गिर्वा, उदयपुर में स्थित भूमि खसरा संख्या 2626 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, 2627 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, 2635 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, कुल किता 3 रकबा 0.5000 हैक्टेयर भूमि स्थित है। कृषि भूमि को अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या–1 से 5 ने कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में प्रस्तुत किया। प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उक्त आराजीयात की भूमि पर अभिधृति अधिकारों को निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने का आदेश दिनांक 30.12.2013 को पारित किया गया। जिससे व्यथीत होकर उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थिति जिनकी बहस दिनांक 23.10.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट के अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कथित आदेश के पूर्व न तो अपीलान्ट को सुना, न अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिया, न अपीलान्ट से कोई दस्तावेज मांगें तथा बिना किसी के कथित धारा 90–क का आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्त है। आराजी नम्बर 2626 के सम्बन्ध में विवाद है। इसके सम्बन्ध में एक थर्ड व्यक्ति ने गलत वाद पेश कर दिया तथा वह अपने अधिकार होना कह रहा है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दुओं को नजरअंदाज कर आदेश पारित कर दिया। मौके पर विवाद होने से विवादग्रस्त जमीन पर सड़के आदि नहीं बनायी जा सकती है एवं विवादित जमीन के सम्बन्ध में धारा 90–क के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। थर्ड व्यक्ति ने विवादग्रस्त जमीन के सम्बन्ध में जो केस कर रखे है उसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं होने से इस मामलें में धारा 90क की कार्यवाही करायी गयी है, जो आदेश पारित किया गया है वह गलत होकर काबिल निरस्त के है। अपीलान्ट द्वारा अपनी जमीन की प्लाटिंग कैसे की

जायेगी तथा रोड़ें कितनी चौडी छोड़ी जायेगी, इसके सम्बन्ध में पूर्ण नक्शा प्रेषित किये बिना ही जो धारा–90क का आदेश पारित किया वह गलत होकर काबिल निरस्त के है। इस मामलें में नियम–4 की पूर्ण पालना नहीं की गई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नियमों को नजरअंदाज करते हुए गलत आदेश पारित किया है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.12.2013 को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंटस् संख्या–1 से 5 द्वारा अपनी बहस में धारा–90–क की कार्यवाही को नियमानुसार नहीं होना बताया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–6 ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा 90–क की कार्यवाही के दौरान समस्त नियमों एवं विधिक प्रक्रियाओं को अक्षरशः पालन किया गया, उसमें कोई चुक भी नहीं हुई है। संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परिक्षण कर आदेश पारित किया गया जिसमें तनिक भी त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर पारित आदेश दिनांक 30.12.2013 बहाल रखाये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन में कहा गया कि आदेश दिनांक 30.12.2013 से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया आराजी नम्बर 2626 के सम्बन्ध में विवाद है। इसके सम्बन्ध में एक थर्ड व्यक्ति ने गलत वाद पेश कर दिया तथा वह अपने अधिकार होना कह रहा है। विवादित जमीन के सम्बन्ध में धारा 90–क के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 द्वारा भी स्वीकार किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय 90–क की कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई है। प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि आदेश दिनांक 30.12.2013 पारित किये जाने के समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं उपरोक्त तथ्यों पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का आदेश दिनांक 30.12.2013 निरस्त किया

जाता है। प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, न्यायालयों में वादों की स्थिति को देखते हुए एवं विभिन्न दस्तावेजों के मद्देनजर नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 30.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर